न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/212 **दायरा दिनांक : 10.12.2024**

उनवान

1– असरफ अली पुत्र श्री मकसूद अली जाति मुसलमान
2– सराफत अली पुत्र श्री मकसूद अली जाति मुसलमान
3– मांगी बाई बेवा श्री मकसूद अली जाति मुसलमान
निवासीगण रेलावल तहसील किशनगंज जिला बारां राज0
4– नजमा बेगम पुत्री श्री मकसूद अली जाति मुसलमान
5– परवीन पुत्री श्री मकसूद अली जाति मुसलमान
6– असरफी बाई पुत्री श्री मकसूद अली जाति मुसलमान
7– जेबून पुत्री श्री मकसूद अली जाति मुसलमान
8– फिरोज बेगम पुत्री श्री मकसूद अली जाति मुसलमान
9– खैरूनिशा पुत्री श्री मकसूद अली जाति मुसलमान
निवासीगण रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– अब्बास अली पुत्र महमूद अली जाति मुसलमान निवासी रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां राज0
2– मुनीर अली पुत्र श्री महमूद अली जाति मुसलमान निवासी रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां राज0 हाल निवासी हबाजापुर तहसील बडोदा जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
3– रहमत अली पुत्र श्री महमूद अली जाति मुसलमान निवासी रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां राज0
4– चांद अली पुत्र श्री महमूद अली जाति मुसलमान निवासी रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां राज0 हाल निवासी पेट्रोल पंप के पास अनन्तपुरा कोटा
5– सुल्तान अली पुत्र श्री महमूद अली जाति मुसलमान निवासी रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां राज0
6– मृतक बतूल बाई बेवा श्री महमूद अली जाति मुसलमान निवासी रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां राज0
6/1–गुड्डी बाई पुत्री महमूद अली पत्नी कय्यूम जाति–मुसलमान निवासी बारा जिला बारां राज0
6/2–रईसा बेगम पुत्री महमूद अली पत्नी लियाकत अली जाति मुसलमान निवासी कोटा राज0
6/3–जुबेदा पुत्री महमूद अली पत्नी अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी बारां जिला बारां राज0

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7– कुसुमलता पुत्री मोतीलाल जाति राजपूत निवासी कंवरपुरा तहसील किशनगंज हाल निवासी रामनगर कॉलोनी तेल फेक्ट्री बारां जिला बारां राज0

8– बृजमोहन पुत्र श्री बिरधीलाल जाति खाती निवासी दण्डछत्रपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

9– मृतक गुरूदेव सिंह पुत्र गज्जन सिंह जाति सिक्ख जट निवासी भूतपुरा (रेलावन) तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

9/1–मल्कित सिह पुत्र गुरूदेव सिंह जाति सिक्ख जट निवासी भूतपुरा (रेलावन) तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

9/2–दर्शन सिंह पुत्र गुरूदेव सिंह जाति सिक्ख जट निवासी भूतपुरा (रेलावन) तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

10– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक, रेस्पोडेंट क्रम 1 ल. 5, 7, 8, 9/1, व 9/2 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 17.03.2025**

ये अपील उपखण्ड अधिकारी किशनगंज के प्रकरण संख्या – 91/2012 निर्णय दिनांक 28.11.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट्स ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रेलावन व झागर तहसील किशनगंज की 4 खाता संख्या 4, 3, 23 व 28 की कुल 63 बीघा 06 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय दिनांक 28.11.2024 से वादी को पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दी जिससे अप्रसन्न होकर वादीगण अपीलांट्स ने यह अपील पेश की।

अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है यह कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वास्ते घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा व साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2012

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को ग्राम रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान की कृषि आराजी खसरा नम्बर–372/859, 373, 374, 438/865, 452, 456, 458, 219/887, 217/888 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की हुई थी किन्तु फिर भी रेस्पोडेंट द्वारा उक्त स्थगन आदेश के प्रभाव मे रहने के बावजूद भी वादग्रस्त भूमि को बैचान कर दिया और जबरदस्ती व ताकत के बल पर उक्त भूमि की किस्म को परिवर्तित कर निर्माण करने पर आमदा हो गया। जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा एक अवमानना याचिका प्रस्तुत की हुई है। इसके अलावा उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पत्रावली मे प्रार्थीगण/अपीलान्ट द्वारा दिनांक–04.04.2012 को अप्रार्थी रेस्पोडेंट कम–6 बतूल बाई के कायमुकामान रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमे स्वीकार किये जाने पर उक्त पत्रावली रेस्पोडेन्ट बतूल बाई के कायमुकामान की तलवी हेतु व जवाबुल जवाब हेतु नियत थी। अपीलान्ट द्वारा मृतक बतूल बाई के कायमुकामान की तलवी हेतु समय समय पर चलवाने व सम्मन प्रस्तुत किये गये थे और उक्त पत्रावली में पेशी दिनांक–22.11.2024 को पत्रावली वास्ते जवाब व उक्त सम्मन के इंतजार हेतु नियत की जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक–29.11.2024 नियत की गई थी किन्तु फिर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी रूप से उसी दिन पत्रावली में अपीलान्ट की जानकारी के बगैर दिनांक–28.11.2024 पेशी नियत कर दिनांक–28.11.2024 को उक्त पत्रावली पेशी में लेकर अपीलान्ट के पक्ष में जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.12.2012 को आदेश 09 नियम 5 सीपीसी के तहत अप्रार्थी के तलवाना सम्मन पेश ना करने के आधार पर प्रत्याहित करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया गलत गैरकानूनी व मनमाना है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट यह अपील पेश कर रहे है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अप्रार्थी बेतुल के कायमुकामान की तलबी हेतु समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तलबाना सम्मन प्रस्तुत किये गये है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त पत्रावली रेस्पोडेंट को प्रेषित किये गये सम्मन के इंतजार हेतु नियत की गई है। इसके अलावा रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक–28.10.2024 को बतुल के कायमुकामान की तलबी हेतु तलवाना सम्मन मय डाक लिफाफा अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत किया गया और स्वंय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2024 को सम्मन जारी कर दिनांक 29.10.2024 को जरिये डाक अप्रार्थी को प्रेषित किये गये है। जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भलीभांति साबित था कि अपीलान्ट अप्रार्थी के कायमुकामान की तलबी हेतु तैयार तत्पर व इच्छुक रहे है और उनके द्वारा समय समय पर तनबाना सम्मन प्रस्तुत किये गये है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से ही बार बार निर्देश दिये जाने के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बावजूद भी अप्रार्थी कायमुकामान 6/2 का तलबाना सम्मन पेश ना करना अंकित करते हुये, अपीलान्ट के पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 10.12.2012 को प्रत्याहरित करने ओर रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की छूट देने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है।

कानूनन आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन पेश ना होने पर किसी भी स्थगन आदेश को प्रत्याहरित करने का कोई भी प्रावधान नही है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से ही आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत प्रार्थीगण के पक्ष में पारित एक तरफा स्थगन आदेश को प्रत्याहरित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट था कि वाद विषयक आराजी अपीलान्ट के हक हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी है जिसमे अपीलान्ट का हक अधिकार निहित है और दौराने वाद रेस्पोडेंट को उक्त आराजी को बैचान व खुर्द बुर्द करने व अपीलान्ट के कब्जे व उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न ना करने हेतु पारित स्थगन आदेश दिनांक–10.12.2012 जारी किया गया है। रेस्पो० द्वारा उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना कर उक्त आराजी के कुछ भाग को बैचान किया गया है। रेस्पोडेन्ट का उक्त कृत्य गलत व गैरकानूनी है और रेस्पोडेंट को उक्त आराजी आगे बैचान व खुर्द बुर्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि रेस्पोडेंट अपने अवैध उद्देश्य में सफल हो गये तो वाद की विषय वस्तु उक्त आराजी खुर्द बुर्द हो जावेगी और वाद में पक्षकारान के हक अधिकार प्रभावित होंगे किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य व कानूनी स्थिति को नजर अंदाज कर मनमर्जी रूप से प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में पारित स्थगन आदेश दिनांक–10.12.2012 को प्रत्याहरित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक–28.11.2024 निरस्त फरमाय जावे और रेस्पोडेंट को पाबन्द किया जावे कि वह ताफैसला उक्त आराजी खसरा नम्बर–372/859, 373, 374, 438/865, 452, 456, 458, 219/887, 217/888 वाके–ग्राम रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान को बैचान व खुर्द बुर्द ना करे मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें और अपीलान्ट के कब्जे व उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न ना करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि सम्पूर्ण आराजी 63 बीघा पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी यह कथन गलत है। आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के पिताओं के नाम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दर्ज थी। सेटलमेंट द्वारा वर्ष 2012–15 में अकेले महमूद अली के नाम दर्ज कर दी। मूल वाद में 63 बीघा में से आधी आराजी पर हिस्से की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। इसी आधार पर सम्पूर्ण आराजी पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है। आक्षेप निराधार है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी वह यथावत रखते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण एक माह में किये जाने के निर्देश दिये जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 10.12.2012 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त हुई। पत्रावली विभिन्न कार्यवाही में चलती रही तथा अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.11.2024 तक चलती रही। मूल प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है। दावे में केवल 5 बीघा 1 बिस्वा आराजी को विवादित मानते हुए 1/2 हिस्सा चाहा गया और अस्थायी निषेधाज्ञा में सम्पूर्ण आराजी 63 बीघा को ही विवादित बना दिया। अतः अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार मूल प्रार्थना पत्र पर 30 दिवस में निर्णय पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट्स ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रेलावन व झागर तहसील किशनगंज की 4 खाता संख्या 4, 3, 23 व 28 की कुल 63 बीघा 06 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 10.12.2012 से प्रतिवादीगण के खिलाफ अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में यह पत्रावली तलवी एवं अप्रार्थी के जवाब इंतजार में चलती रही। अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलाधीन आदेश के दिनांक 28.11.2024 तक भी तलवी नहीं करवाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.11.2024 को अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 10.12.2012 को प्रत्यारित किया गया है एवं प्रकरण में पूर्व आदेश के मुताबिक शेष अप्रार्थीगण की तलवी हेतु रजिस्टर्ड तलवाने पेश करने के आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्व वादीगण द्वारा इस न्यायालय हाजा में दिनांक 10.12.2024 को अपील दायर कर अपीलांटगण द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 22.11.2024 को वास्ते जवाब/इंतजार सम्मन आगामी दिनांक 29.11.2024 के लिये नियत की गई थी किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुपचुप रूप से ही पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पेशी में लेकर प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में जारी अंतरिम स्थगन आदेश को प्रत्यारित कर दिया जिसमें अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण 12 वर्षो से जैरकार है जबकि प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत इस प्रार्थना पत्र का मूल निस्तारण 30 दिवस की समयावधि में किये जाने के कानूनन प्रावधान है। इस प्रकरण में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है एवं वर्तमान में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2024 अंतरिम प्रकृति का आदेश है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष है। चूंकि प्रकरण पिछले 12 वर्षों से जैरकार है। अतः प्रकरण का शीघ्र अंतिम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना करते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2024 यथावत रखा जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरान्त 30 दिवस के भीतर उभयपक्षकारान को सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारण करें। उभयपक्षकारन को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.04.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/03/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा